न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 14/2024
रजिस्ट्रेशन नं. : 2024/15

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)	**बनाम**	**अभियुक्त :–** 1. श्री हकीमुद्दीन हकीमजी पुत्र श्री अकील अली हकीम निवासी मुस्लिम कॉलोनी, बांसवाडा मैसर्स हकिमी स्टोर, मुस्लिम कॉलोनी, बांसवाडा मो. न. 7073865352 2. मैसर्स मिष्कट फूड इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. प्लॉट नं. 14ए मेगा जीआईडीसी, खरेडी, दाहोद, गुजरात

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 15–04–2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **श्री शशिकांत शर्मा** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक **11–01–2024** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **14–02–2023** को 12.15 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु **मैसर्स हकिमी स्टोर, मुस्लिम कॉलोनी, बांसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री हकीमुद्दीन हकीमजी पुत्र श्री अकील अली हकीम** उपस्थित थे। **विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स हकिमी स्टोर, मुस्लिम कॉलोनी, बांसवाडा** का निरीक्षण करने पर दुकान में खाद्य पदार्थ **बेसन (शुद्ध बेसन) प्रत्येक 500 ग्राम पैकिंग के 400 पैकेट विक्रय हेतु रखे थे। उक्त** खाद्य पदार्थ **बेसन (शुद्ध बेसन)** गुणवत्ता की कमी/मिलावट/मिसब्राण्ड होने का संदेह होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए खाद्य पदार्थ **बेसन (शुद्ध बेसन) 500 ग्राम के 4 पैकेट** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 132/- रू. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवा एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **बेसन (शुद्ध बेसन) 500 ग्राम के 4 पैकेट के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग** पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1296**

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.05.27 11:07:19 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर किया गया। नमूना भागो को अभिहित अधिकारी ख़ाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी ख़ाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/152 दिनांक 01–03–2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 143 दिनांक 01–03–2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **बेसन (शुद्ध बेसन)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1296** Substandard food under section 3(1)(zx) & Misbranded food under section 3(1)(Zf) of food safety and standards act 2006 पाया गया। श्री हकीमुद्दीन हकीमजी पुत्र श्री अकिल अली हकीम के द्वारा नमूने की पुनः जांच हेतु अपील नही की गई है।

फर्म के मालिक **श्री हकीमुद्दीन हकीमजी पुत्र श्री अकील अली हकीम निवासी मुस्लिम कॉलोनी, बांसवाडा मैसर्स हकिमी स्टोर, मुस्लिम कॉलोनी, बांसवाडा** को पत्र लिखकर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने एवं उक्त खाद्य पदार्थ **बेसन (शुद्ध बेसन)** किसी अन्य फर्म से खरीदा है तो अग्रीम माल बिल खरीद की सूचना के लिये पत्र लिखा , विक्रेता ने **मैसर्स मिष्कट फूड इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. प्लॉट नं. 14ए मेगा जीआईडीसी, खरेडी, दाहोद, गुजरात** का बिल प्रस्तुत किया। विक्रेता द्वारा खाद्य पदार्थ **बेसन (शुद्ध बेसन)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51, 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 11–01–2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को जरिये सम्मन तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.05.27 11:07:19 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

दिनांक 12–02–2024 को अप्रार्थी सं. 1 का नोटिस बाद तामील पेश हुआ, अप्रार्थी सं. 1 ने उपस्थित होकर जुर्म स्वीकरोक्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कम से कम जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया। दिनांक 26.02.2024 को अप्रार्थी सं. 2 को प्रेषित नोटिस भारतीय डाक ट्रेक कन्साईन्मेंट रिपोर्ट अनुसार सम्बन्धित को प्राप्त हो चुके है। दिनांक 14.10.2024 को अप्रार्थी सं. 1 ने मिस्कट फूड इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. की कन्सर्न पत्र की प्रति जिसमें उनके द्वारा श्री हकीमुदीन हकीम जी को समस्त खाद्य सुरक्षा सम्बन्धित प्रकरणो में अपना प्रतिनिधि अधिकृत नियुक्त किया है पेश किया व श्री हकीमुदीन हकीम जी ने अप्रार्थी सं. 2 की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर कम जुर्माना किये जाने व उक्त कार्यवाही को समाप्त करने निवेदन किया। तत्पश्चात अप्रार्थीगण आगामी पेशी दिनांक पर अनुपस्थित रहे। दिनांक 15.04.2025 को विभागीय पैरोकार को सुना गया। विभागीय पैरोकार ने कथन किया कि खाद्य पदार्थ **बेसन (शुद्ध बेसन)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1296** Substandard food under section 3(1)(zx) & Misbranded food under section 3(1)(Zf) of food safety and standards act 2006 पाया गया है। विक्रेता द्वारा खाद्य पदार्थ **बेसन (शुद्ध बेसन)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51, 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

हमने पत्रावली एवं उसके संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया अभिहित अधिकारी खा़द्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस. ए/2023/152 दिनांक 01–03–2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 143 दिनांक 01–03–2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **बेसन (शुद्ध बेसन)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1296** Substandard food under section 3(1)(zx) & Misbranded food under section 3(1)(Zf) of food safety and standards act 2006 पाया गया। प्रकरण में अभियुक्तगणो द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.05.27 11:07:19 IST
Reason: Self Attested

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टेण्डर्ड व 3(1)(Zf) के तहत मिसब्राण्डेड पाया गया खाद्य पदार्थ **बेसन (शुद्ध बेसन)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना

न्याय निर्णायक अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की क्रमशः धारा 51, 52 में निर्धारित है। अतः आरोपीगणो को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थीगणो **1.श्री हकीमुद्दीन हकीमजी पुत्र श्री अकील अली हकीम निवासी मुस्लिम कॉलोनी, बांसवाडा मैसर्स हकिमी स्टोर, मुस्लिम कॉलोनी, बांसवाडा, 2. मैसर्स– मिष्कट फूड इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. प्लॉट नं. 14ए मेगा जीआईडीसी, खरेडी, दाहोद, गुजरात को रूपये 50,000/– (अक्षरे पचास हजार रुपया मात्र) से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 15–04–2025 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अभिषेक गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.05.27 11:07:19 IST
Reason: SelfAttested